(147)

नोटः-1. व्यावसायिक पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम

व्यावसायिक पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम समूह "ख" के अंतर्गत शामिल है। यह घोषणा की गई है कि वर्ष 1994-95 से, व्यावसायिक पायलट लाइसेंस के लिए पुरस्कारों की संख्या प्रतिवर्ष 20 है। संबंधित छात्रों, से आवेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस योजना के अंतर्गत उनकी पात्रता निश्चित करने के लिए उनकी जांच करेगा तथा उसके बाद कल्याण मंत्रालय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या {उनके नाम सहित} सूचित करेगा आवेदन मंत्रालय को स्वयं नहीं भेजे जाएं}। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, कल्याण मंत्रालय पूरे देश के लिए 20 पुरस्कार तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्पष्ट करेगा। चयनित उम्मीदवारों को समूह "ख" को लागू दरों पर अर्थात होस्टल में रहने वालों को 290 रुपए प्रति माह तथा दिवा छात्रों को 190 रुपए प्रति माह अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उड़ान प्रभारों सहित, सभी अनिवार्य शुल्कें फीस में प्रदान की जाती हैं।

नोट-2. एम. फिल तथा पी. एच. डी. पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है। ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान उनके समूहों के अंर्तगत पाठ्यक्रमों के आधार पर समूह "क", "ख", "ग" के लिए अनुरक्षण भत्ते की दरों पर किया जाता है।
{प्राधिकारः- ए. ई. 11017/2/92-छात्रवृत्ति कक्ष दिनांक 8.4.94}

नोट 3. सामान्यतः "छात्रावास" शब्द का अर्थ है विद्यार्थियों के लिए एक साझा आवासीय भवन तथा साझा भोजनालय जो शैक्षिक संस्था के प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन चलाया जा रहा हो। कालेज छात्रावास में आवास प्रदान करने में कालेज प्राधिकारियों के असमर्थ होने की स्थिति में आवास के लिए अनुमोदित स्थान को भी इस योजना के अन्तर्गत छात्रावास माना जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों अथवा विनियमों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए तथा विधिवत निरीक्षण के पश्चात संस्था के प्रमुख द्वारा स्थान का अनुमोदन किया जाएगा। ऐसे मामले में इस आशय का प्रमाण पत्र, कि "विद्यार्थी आवास के लिए अनुमोदित स्थान में रह रहा है क्योंकि उसे कालेज छात्रावास में जगह नहीं मिली", संस्था के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।